



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5196]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940

No. 5196]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6475(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुनदुरई ग्राम, इरोड जिले में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का. आ. 916(अ) दिनांक 23 अप्रैल, 2008 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 105.445 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 26.407 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 9537/एम आई ई.2/2018.1 दिनांक 09.10.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 26.407 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुन्दुरई ग्राम, इरोड जिले में विशेष आर्थिक जोन में से **26.407 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **79.038 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण नम्बर	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	पेरुन्दुरई	257 पार्ट	0.244
2		258 पार्ट	0.011
3		259 पार्ट	2.701
4		260 पार्ट	0.784
5		263 पार्ट	2.891
6		266 पार्ट	0.114
7		267 पार्ट	0.323
8		269 पार्ट	0.042
9		372	2.550
10		373	4.270
11		374	3.495
12		375 पार्ट	2.809
13		380 पार्ट	0.593
14		381	2.700
15		382 पार्ट	1.905
16		392 पार्ट	0.975
कुल			26.407
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			79.038

[फा. सं. एफ. 1/119/2007—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6475(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Engineering Sector at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited Industrial Growth Centre, Perundurai Village, Erode District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 105.445 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 917(E) dated 23rd April, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 26.407 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 9537/MIE.2/2018-1, dated 9.10.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 26.407 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 26.407 hectares** at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited Industrial Growth Centre, Perundurai Village, Erode District, in the State of Tamil Nadu, thereby making resultant area as **79.038 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1	Perundurai	257 Pt	0.244
2		258 Pt	0.011
3		259 Pt	2.701
4		260 Pt	0.784
5		263 Pt	2.891
6		266 Pt	0.114
7		267 Pt	0.323
8		269 Pt	0.042
9		372	2.550
10		373	4.270
11		374	3.495
12		375 Pt	2.809
13		380 Pt	0.593
14		381	2.700
15		382 Pt	1.905
16		392 Pt	0.975
	Total		26.407
	Grand Total Area of SEZ after above deletion		79.038

[F. No. F.1 /119/2007-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.